

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक :- एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 92/अलेसे-III/

दिनांक :- 9-4-2013

आदेश संख्या 13/2013-14

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ 11 (7) वित्त (नियम) पार्ट- 1/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे बैण्ड-2 (9300-34800) ग्रेड पे 4200/- में स्वीकृत की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	मेरिट संख्या/ बैच संख्या	क.लेखाकार पद पर कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	सुनील अग्रवाल	15/92	07.03.1995	07.03.2013	
2	श्रीमति सरिता बत्रा	18/92	02.03.1995	02.03.2013	
3	ओमप्रकाश गुप्ता	25/92	10.03.1995	10.03.2013	
4	रजनीश कुमार	41/92	07.03.1995	07.03.2013	
5	मुकेश कुमार गुप्ता	55/92	29.03.1995	29.03.2013	
6	छीतरमल जाट	61/92	01.03.1995	01.03.2013	
7	भंवर लाल चौधरी	66/92	08.03.1995	08.03.2013	
8	चन्द्रप्रकाश अरोड़ा	69/92	06.03.1995	06.03.2013	
9	चन्द्रमोहन शर्मा	72/92	01.03.1995A/N	02.03.2013	
10	मनोज कुमार	78/92	08.03.1995	08.03.2013	
11	चन्द्रप्रकाश गर्ग	82/92	22.03.1995	22.03.2013	
12	अश्विनी कुमार तिवाड़ी	85/92	08.03.1995	08.03.2013	
13	मुकेश कुमार गुप्ता	88/92	10.03.1995	10.03.2013	
14	विजय कुमार	91/92	02.03.1995	02.03.2013	
15	राजेन्द्र	95/92	02.03.1995	02.03.2013	
16	हेमराज सिंह	96/92	06.03.1995	06.03.2013	
17	गोविन्द प्रसाद गोयल	103/92	06.03.1995	06.03.2013	
18	राजेश कुमार खण्डेलवाल	112/92	03.04.1995	03.04.2013	
19	विनोद कुमार बंसल	120/92	02.03.1995	02.03.2013	
20	कैलाश चन्द्र शर्मा	123/92	05.04.1995	05.04.2013	
21	अरविन्द कुमार शर्मा	128/92	02.03.1995	02.03.2013	
22	बुद्धि प्रकाश शर्मा	134/92	10.03.1995	10.03.2013	
23	माधवदास वासवानी	137/92	06.03.1995	06.03.2013	
24	सुनील कुमार शर्मा	142/92	14.03.1995	14.03.2013	

25	राजेन्द्र कुमार जोशी	146/92	07.03.1995	07.03.2013	
26	सीताराम यादव	157/92	06.03.1995	06.03.2013	
27	शैलेन्द्र कुमार वशिष्ठ	162/92	13.03.1995	13.03.2013	
28	अशोक रस्तोगी	163/92	06.03.1995	06.03.2013	
29	सुरेश चन्द्र कुमावत	174/92	08.03.1995	08.03.2013	
30	वासुदेव सैनी	185/92	08.03.1995	08.03.2013	
31	सरदारगल यादव	195/92	07.03.1995	07.03.2013	
32	शिवदत्त सिंह	196/92	07.03.1995	07.03.2013	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 14 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31-12-2009 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30 एवं 32 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12-09-08 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।


निदेशक

क्रमांक :- एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 92/अलेसे-III/194-260 दिनांक :- 9-4-2013

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. श्री कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय
3. निजी सहायक निदेशक, महोदया।
4. संयुक्त निदेशक (कार्मिक-I) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. एसीपी कम्प्यूटर शाखा/निजी/गार्ड फाईल।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)